न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 92/2021 वाद

श्री कमलेश डामोर पिता श्री महेशचन्द्र डामोर (भील) आयु वयस्क, निवासी ईटाउवा पोस्ट कोटड़ा तह. गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)

वादी

बनाम

1. श्री अम्बालाल पिता श्री रोड़ा भील, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गुलाब देवी पुत्री श्री रोड़ा भील, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री देवीलाल पिता श्री रोड़ा भील, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लाली देवी पुत्री श्री रोडा, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री भंवरलाल पिता श्री लिम्बाजी, भील, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>श्री महेन्द्र मेनारिया अधिवक्ता वादी, उपस्थित</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 01.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम बलीचा पटवार हल्का गोवर्धन विलास के आराजी संख्या 469, 527, 528, 529, 530, 535, 537 कुल किता 7 रकबा 0.5200 हैक्टेयर में वादी का 1/18, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 प्रतिवादी संख्या 3 का 1/18, पतिवादी संख्या 4 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 5 का 2/3 हिस्सा निहित होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से पॉच के उपरोक्त हिस्सानुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन है एवं इसी अनुसार आधिपत्यधारी है। परन्तु अब प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप पैदा कर रहे है एवं घास–फसल आदि काटने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है, इस कारण वादी भूमि को अलग कराना चाहता है। वादी का वादकारण दिनांक 25.06.2021 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से वाली भूमि पर जबरदस्ती हस्तक्षेप करने लगे एवं वादी ने रोका तो वादी के साथ मारपीट की, पैदा हुआ एवं उसके बाद निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की बटवाडे की डिक्री पारित करायी जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 5 के खाते में अंकित हिस्से अनुसार हिस्सो का मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाडा कराया जावे साथ ही खाता अलग अलग कायम किया जाकर लगान का भी बराबर–बराबर बटवाडा कराये जाने की डिक्री प्रदान करावे। प्रतिवादी संख्या एक से 5 वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी के अंकित हिस्से में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे, काश्त करने व कराने से वादी को नहीं रोके, व यह कार्य अपने नौकर, प्रतिनिधि/परिजन आदि से करावे एवं मौके एवं रेकार्ड की यथा स्थिति कायम की जावें।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2023 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांकः राजस्व ए/2024/125 दिनांक 24.02.2024 को बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपति नही की गई।

अतः उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :—

1— कमलेश कुमार डामोर पुत्र महेशचन्द्र डामोर, जाति भील सा. ईटाउवा, पोस्ट कोटड़ा, तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
469/1	0.0289	0.19
किता 1	रकबा 0.0289	लगान 0.19

2— अम्बालाल पुत्र रोडा हि. 289/4911 भील, गुलाबदेवी पुत्री रोडा हि. 433/4911 भील, देवीलाल पुत्र रोडा हि. 289/4911 भील, भंवरलाल पुत्र लिम्बा हि. 3467/4911 भील, [illegible] पुत्री रोडा हि. 433/4911 सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
469/2	0.0711	0.39
527	0.0350	0.04
528	0.0650	0.08
529	0.1850	0.36
530	0.0750	0.26
535	0.0450	0.16
537	0.0150	0.01
किता 7	रकबा 0.4911	लगान 1.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौजा राजस्व ग्राम बलीचा पटवार हल्का गोवर्धन विलास के आराजी संख्या 469, 527, 528, 529, 530, 535, 537 कुल किता 7 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाते है कि वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करें न ही अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे। तहसीलदार गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

(रिया डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इन्तसाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.स.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस. मुकदमा 92/2021 सन 2021 सीगा वाद श्री कमलेश डामोर पिता श्री महेशचन्द्र डामोर (भील) आयु वयस्क, निवासी ईटाउवा पोस्ट कोटड़ा तह. गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.) बनाम (1)श्री अम्बालाल पिता श्री रोड़ा भील, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) (2)श्रीमती गुलाब देवी पुत्री श्री रोड़ा भील, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) (3)श्री देवीलाल पिता श्री रोड़ा भील, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) (4)श्रीमती लाली देवी पुत्री श्री रोडा, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) (5)श्री भंवरलाल पिता श्री लिम्बाजी, भील, आयु वयस्क, निवासी बलीचा तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रिया डाबी, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता महेन्द्र मेनारिया की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

1– कमलेश कुमार डामोर पुत्र महेशचन्द्र डामोर, जाति भील सा. ईटाउवा, पोस्ट कोटड़ा, तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
469/1	0.0289	0.19
किता 1	रकबा 0.0289	लगान 0.19

2– अम्बालाल पुत्र रोडा हि. 289/4911 भील, गुलाबदेवी पुत्री रोडा हि. 433/4911 भील, देवीलाल पुत्र रोडा हि. 289/4911 भील, भंवरलाल पुत्र लिम्बा हि. 3467/4911 भील, लाली देवी पुत्री रोडा 433/4911 सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
469/2	0.0711	0.39
527	0.0350	0.04
528	0.0650	0.08
529	0.1850	0.36
530	0.0750	0.26
535	0.0450	0.16
537	0.0150	0.01
किता 7	रकबा [illegible]	लगान 1.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के [illegible] ग्राम बलीचा पटवार हल्का गोवर्धन विलास के आराजी संख्या 469, 527, 528, 529, 530, 535, 537 कुल किता 7 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

पाबन्द किये जाते है कि वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करें न ही अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....०.......रुपये की राशि....०.......आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....०.......प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ..०.....द्वारा .....०........को दी जाए।

यह आज तारीख ....01.......... माह ..05.... सन् ......2024...... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....उपखण्ड अधिकारी....
गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:53:03 IST
Reason: SelfAttested